भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1510
31 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

छत्तीसगढ़ में शीतागार और शीत श्रृंखला नेटवर्क का अभाव

1510 # श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में शीतागार और शीत-श्रृंखला नेटवर्क की कमी के कारण टमाटर और अन्य बागवानी फसलें बड़े पैमाने पर खराब हो जाती हैं;
(ख) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार की क्या योजनाएं हैं; और
(ग) छत्तीसगढ़ में स्वीकृत मेगा फूड पार्कों और कृषि-प्रसंस्करण समूहों (क्लस्टर्स) की वर्तमान स्थिति क्या है तथा ये कब तक पूरी तरह चालू हो जाएंगे?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्राथमिक सर्वेक्षणों पर आधारित अध्ययनों को आयोजित करके देश में विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए समय-समय पर फसल कटाई के बाद के नुकसान का अनुमान लगाता है। ये अध्ययन कुछ फसलों के लिए फसल कटाई के बाद के नुकसान का अनुमान लगाते हैं। मंत्रालय द्वारा (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - केंद्रीय फसलोत्तर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीफेट), 2015 को संदर्भ वर्ष 2012-14 के साथ और (ii) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकोंस), 2022 को संदर्भ वर्ष 2020-22 के साथ दो अध्ययन कराए गए थे।

नैबकोंस द्वारा किए गए नवीनतम अध्ययन के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में चार फसलों को शामिल किया गया था। चयनित फसलों के लिए फसल कटाई के बाद के नुकसान का अनुमानित प्रतिशत नीचे दिया गया है:

छत्तीसगढ़	
फसल	**सम्पूर्ण कुल हानि (%)**
कद्दू	6.77
अमरूद	13.79
धान	3.92
मूली	6.66

छत्तीसगढ़ में अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और शीत श्रृंखला अवसंरचना के कारण टमाटर और अन्य बागवानी फसलों के खराब होने पर कोई अलग अध्ययन नहीं किया गया है। मंत्रालय स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुदान सहायता प्रदान नहीं करता है। इसके बजाय, यह अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण इकाई की प्रसंस्करण क्षमता के अनुसार कैप्टिव उपयोग के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना हेतु ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) इन समस्याओं को दूर करने के लिए, एमओफपीआई केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), केंद्रीय क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना कार्यान्वित्त कर रहा है। ये योजनाएँ क्षेत्र विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं और पूरे देश में कार्यान्वित्त की जाती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, एमओएफपीआई छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में, खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सृजित अवसंरचना और प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य किसानों को बेहतर आय प्रदान करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, अपव्यय को कम करना और प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना है।

इसके अलावा, पीएमकेएसवाई के ऑपरेशन ग्रीन्स घटक के अंतर्गत, उत्पादन क्लस्टरों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सुदृढ़ करने, कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास के प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बेहतर आय प्रदान करना, फार्म-गेट और कटाई के बाद के अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से कटाई के बाद के नुकसान को कम करना, और खाद्य प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। नवंबर 2018 में शुरू में टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसलों के लिए शुरू की गई इस योजना के दायरे को वर्ष 2021-22 से आगे बढ़ाकर 22 विकारी बागवानी फसलों को शामिल कर दिया गया।

फसल कटाई और शीत श्रृंखला अवसंरचना सृजन के उद्देश्य से, दिनांक 30.06.2026 तक, छत्तीसगढ़ में पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से छह पूर्ण/प्रचालित हो चुकी हैं और शेष छह कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। एक बार पूरा हो जाने पर, इन 12 अनुमोदित परियोजनाओं से लगभग 4.79 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की परिरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता और कैप्टिव उपयोग के लिए 11 कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के सृजन की उम्मीद है।

(ग): दिनांक 30.06.2026 तक, छत्तीसगढ़ राज्य में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एक मेगा फूड पार्क और एक कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	**घटक योजना**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	**अनुमोदन की तिथि**	**परियोजना लागत (करोड़ रु. में)**	**अनुमोदित अनुदान सहायता (करोड़ रु. में)**	**जारी अनुदान सहायता (करोड़ रु. में)**	**स्थिति**
1	मेगा फूड पार्क	1	04.06.2014	96.58	43.96	39.57	प्रचालनरत
2	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना	1	28.02.2024	68.87	10.00	शून्य	कार्यान्वयनाधीन

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की सामान्यतः अनुमोदन की तिथि से दो वर्ष की परिपक्वता अवधि होती है, बशर्ते योजना दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट शर्तें पूरी हों। तथापि, परियोजना के पूर्ण होने की वास्तविक समय-सीमा भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरियाँ आदि जैसे कारकों पर निर्भर करती है।

*****